



प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएँ,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

लखनऊ दिनांक 24 जुलाई, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी दुर्गेश पुत्र श्री बाबूराम राठौर, निवासी जनपद-फिरोजाबाद की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-2488/प्र0-7/02/सीमित/एम-12.01.2024 दिनांक-29.01.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी दुर्गेश पुत्र श्री बाबूराम राठौर, हिमायपुर, थाना-दक्षिण, जनपद-फिरोजाबाद का निवासी है। वादिया पिंगी देवी के अनुसार घटना दिनांक 31.12.2018 को उसका लड़का उम्र 07 वर्ष घर के बाहर खेल रहा था तभी दुर्गेश लालच देकर वादिया के पुत्र को श्रीनाथ फैक्ट्री के पीछे झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ बुरा काम करने की कोशिश कर रहा था। उसके पुत्र/पीडित की चीखने की आवाज सुनकर फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों ने उसे बचाया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-707/2019 में भा0द0वि0 की धारा-377 व 5/6 पाँक्सो एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) फिरोजाबाद के आदेश दिनांक 08.04.2022 द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की जेल अपील दाखिल कराने हेतु मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद से पत्राचार किया गया, बन्दी द्वारा दिनांक 20.07.2023 तक अपरिहार 04 वर्ष, 06 माह, 20 दिन तथा 04 वर्ष, 09 माह, 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध पूरे समाज को कलंकित करने, जेल से छूटने पर पुनः अपराध कर सकने अशक्त न होने, बन्दी के छूटने से किसी भी घटना से इन्कार नहीं किये जाने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोवेशन अधिकारी द्वारा अपेन्डिक्स-बी में समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद द्वारा बन्दी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोवेशन बोर्ड का अभिमत है कि वादिया पिंगी देवी के अनुसार घटना दिनांक 31.12.2018 को उसका लड़का उम्र 07 वर्ष घर के बाहर खेल रहा था तभी दुर्गेश लालच देकर वादिया के पुत्र को श्रीनाथ फैक्ट्री के पीछे झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ बुरा काम करने की कोशिश कर रहा था। उसके पुत्र/पीडित की चीखने की आवाज सुनकर फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों ने उसे बचाया। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध पूरे समाज को कलंकित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी दुर्गेश पुत्र बाबूराम राठौर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी दुर्गेश (बन्दी संख्या-19207) पुत्र श्री बाबूराम राठौर, निवासी जनपद-फिरोजाबाद के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1001/2026/210(1)/22-2-2024 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद।
- 2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
- 3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

दिनांक 24 जुलाई, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी दुर्गेश पुत्र श्री बाबूराम राठौर, हिमायूपुर, थाना-दक्षिण, जनपद-फिरोजाबाद का निवासी है। वादिया पिंगी देवी के अनुसार घटना दिनांक 31.12.2018 को उसका लड़का उम्र 07 वर्ष घर के बाहर खेल रहा था तभी दुर्गेश लालच देकर वादिया के पुत्र को श्रीनाथ फैक्ट्री के पीछे झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ बुरा काम करने की कोशिश कर रहा था। उसके पुत्र/पीडित की चीखने की आवाज सुनकर फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों ने उसे बचाया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-707/2019 में भा0द0वि0 की धारा-377 व 5/6 पाँक्सो एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) फिरोजाबाद के आदेश दिनांक 08.04.2022 द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की जेल अपील दाखिल कराने हेतु मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद से पत्राचार किया गया, बन्दी द्वारा दिनांक 20.07.2023 तक अपरिहार 04 वर्ष, 06 माह, 20 दिन तथा 04 वर्ष, 09 माह, 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध पूरे समाज को कलंकित करने, जेल से छूटने पर पुनः अपराध कर सकने अशक्त न होने, बन्दी के छूटने से किसी भी घटना से इन्कार नहीं किये जाने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोवेशन अधिकारी द्वारा अपेन्डिक्स-बी में समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद द्वारा बन्दी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोवेशन बोर्ड का अभिमत है कि वादि या पिंगी देवी के अनुसार घटना दिनांक 31.12.2018 को उसका लड़का उम्र 07 वर्ष घर के बाहर खेल रहा था तभी दुर्गेश लालच देकर वादिया के पुत्र को श्रीनाथ फैक्ट्री के पीछे झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ बुरा काम करने की कोशिश कर रहा था। उसके पुत्र/पीडित की चीखने की आवाज सुनकर फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों ने उसे बचाया। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध पूरे समाज को कलंकित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी दुर्गेश पुत्र बाबूराम राठौर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार

उप सचिव।